

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 718/2023

अनवान : -

1. प्रभुराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. भंवरलाल पुत्र स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. जमनाराम पुत्र स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. मूली पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 465/456 की कुल 25.6600 हैक्ट भूमि में से 12357/64150 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 464/457 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 7743/69055 हिस्सा भूमि के लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है लादुराम पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है लादुराम पुत्र मानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 6 है जो लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया स० 1 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की बहिन है ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 465/456 की कुल 25.6600 हैक्ट भूमि में से 12357/64150 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 464/457 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 7743/69055 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 बहिन के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक लादुराम पुत्र मानाराम का नाम कलमजन करवा पुराधिकारी है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075-78 रोही मौजा जबरासर खाता संख्या 465, 464 प्रदर्श-1, मृत्यु प्रमाण पत्र लादुराम प्रदर्श-2, चित्रप्रति वारिसनामा व शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श-3 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता लादुराम पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता सं० 465/456 की कुल 25.6600 हैक्ट भूमि में से 12357/64150 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 464/457 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 7743/69055 हिस्सा भूमि के लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का

कथन है कि वादी के पिता लादुराम पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा लादुराम पुत्र मानाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 465/456 की कुल 25.6600 हैक्ट भूमि में से 12357/64150 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 464/457 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 7743/69055 हिस्सा भूमि के लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में लादुराम पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 718/2023

अनवान : -

1. प्रभुराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. भंवरलाल पुत्र स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. जमनाराम पुत्र स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. मूली पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. सन्तोष पुत्री स्व० लादुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 718 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स० 465/456 की कुल 25.6600 हैक्ट भूमि में से 12357/64150 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 464/457 की कुल 13.8110 हैक्ट भूमि में से 7743/69055 हिस्सा भूमि के लादुराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में लादुराम पुत्र मानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स० 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर